# समाहरणालय,कटिहार

## (जिला गोपनीय प्रशाखा)

## संयुक्त आदेश

अपर मुख्य सचिव,शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–7/विविध–25/2019–621 पटना दिनांक–03.07.2021 द्वारा बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई द्वारा की जा रही है।

निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार,पटना के पत्रांक–762 दिनांक–29.07.2021 के आलोक में जिन नियोजन इकाईयों की अंतिम मेघा सूची दिनांक–29.07.2021 तक जिला के NIC के वेबपोर्टल पर प्रकाशित एवं जिला द्वारा नियोजन हेतु अनुमोदित मेघा सूची वाले नियोजन इकाईयों को द्वितीय चक्र के काउन्सिलिंग में भाग लेने का कार्यक्रम जिला शिक्षा पदाधिकारी,कटिहार ने ज्ञापांक–1842/स्था०शि० दिनांक–10.08.2021 द्वारा काउन्सिलिंग की तिथि दिनांक–13.08.21 को **पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक** आयोजन किये जाने के संबंध में संसूचित किया गया है, जो निम्नवत है :–

**प्रखण्ड स्तर पर पंचायत नियोजन इकाई हेतु निर्धारित कैम्प स्थल**

| क्र० | प्रखण्ड का नाम | कैम्प स्थल का नाम | तिथि | वर्ग | पंचायत नियोजन इकाई का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कटिहार | मध्य विद्यालय,बी0एम0पी0–07, कटिहार। | 13.08.21 | 1-V | कटिहार। |
| 2 | कदवा | कन्या मध्य विद्यालय,कुम्हड़ी, कदवा। | 13.08.21 | 1-V | धपरसिया, कुम्हड़ी, मोहम्मदपुर, भर्री, परभेली,चौनी एवं तेतलिया। |
| 3 | बारसोई | उच्च विद्यालय,बारसोई। | 13.08.21 | 1-V | बलतर। |
| 4 | बलरामपुर | राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय,तेलता,बलरामपुर। | 13.08.21 | 1-V | महिशाल एवं लोहागाड़ा। |
| 5 | आजामनगर | आदर्श मध्य विद्यालय, आजमनगर | 13.08.21 | 1-V | मुकुरिया, केलाबाड़ी, महेशपुर, मर्वतपुर एवं अमरसिहपुर। |
| 6 | बरारी | आदर्श मध्य विद्यालय, गुरूबाजार,बरारी। | 13.08.21 | 1-V | शिशिया। |
| 7 | अमदावाद | आदर्श म0वि0,अमदावाद | 13.08.21 | 1-V | भवानीपुर खटटी,बैदा,पारदियारा दुर्गापुर, चौकिया पहाड़पुर, जंगलाटाल, लखनपुर। |
| 8 | | म0वि0जनता गोपालपुर | | | बैरिया, किशनपुर,पूर्वी करीमुल्लापुर, उत्तरी करिमुल्लापुर एवं दक्षिणी करिमुल्लापुर। |
| 9 | कोढ़ा | प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, कोढ़ा। | 13.08.21 | 1-V | बहरखाल, बसगढ़ा, मकदमपुर, बावनगंज,विशनपुर एवं चन्दवा। |
| 10 | फलका | राजकीय बुनियादी विद्यालय, फलका हाट,फलका। | 13.08.21 | 1-V | हथवारा,शब्दा एवं सोहथा उत्तरी । |

उपर अंकित अधिसूचना के आलोक में उक्त अवसर पर कैम्प में काउन्सिलिंग स्थल पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की उपस्थिति की संभावना के मद्देनजर, नियोजन में पारदर्शिता बरतने एवं विधि–व्यवस्था संधारण के लिए दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/बलों की प्रतिनियुक्ति करने के लिए निदेशित किया गया है।

अतएव उक्त अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण हेतु निम्नरूपेण दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/बलों की प्रतिनियुक्ति की जाती है–

**प्रखण्ड स्तर पर पंचायत नियोजन इकाई हेतु निर्धारित कैम्प स्थल–दिनांक–13.08.2021 के लिए**

| क्र० | प्रतिनियुक्ति स्थल/प्रखण्ड | प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर | प्रतिनियुक्त दण्डा0 के साथ सम्बद्ध पंचायत | प्रतिनियुक्त पुलिस पदा० का नाम, पदनाम एवं मो० नम्बर | बल | प्रतिनियुक्त वरीय दण्डाधिकारी –सह– केन्द्र प्रभारी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मध्य विद्यालय, बी0एम0पी0–07, कटिहार। | श्री सूर्य मोहन झा, प्र0कृषि पदा0, कटिहार–6201169260 | कटिहार। | स0अ0नि0 इन्द्रजीत प्रसाद, सहायक थाना–9931231430 | थाना से। | श्री सोनू कुमार भगत, अंचलाधिकारी, कटिहार–8544412599 |
| | मुख्य प्रवेश द्वार | श्री गोपाल प्र0 सिंह, | | | था | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | विद्यालय परिसर सहित। | प्र0सांख्यिकी पदा0,कटिहार–9155643031 | – | | ना से। | |
| 2 | कन्या मध्य विद्यालय,कुम्हड़ी, कदवा। | श्री रंजीत लाल, सहकारिता प्रसार पदा0, कदवा–7903358416 | धपरसिया, कुम्हड़ी, मोहम्मदपुर, भर्री, परभेली,चौनी एवं तेतलिया। | पु0अ0नि0 विजय कुमार सिंह–2, कदवा थाना–9939575995 | थाना से। | श्री रविशंकर सिन्हा, अंचलाधिकारी, कदवा–8544412594 |
| | मुख्य प्रवेश द्वार विद्यालय परिसर सहित। | श्री हेमन्त कुमार, श्रम प्रवर्तन पदा0,कदवा–7004382172 | – | | थाना से। | |
| 3 | उच्च विद्यालय, बारसोई | श्री अनिल कुमार मण्डल,प्र0आपूर्ति पदा0, बारसोई–9431267784 | बलतर। | पु0अ0नि0 प्रेम कुमार सिंह, बारसोई थाना–7782846715 | थाना से। | श्री अमर कुमार राय, अंचलाधिकारी, बारसोई–8544412593 |
| | मुख्य प्रवेश द्वार। | श्री आशीष कुमार, सहकारिता प्रसार पदा0, बारसोई–9006599314 | – | | | |
| 4 | आदर्श मध्य विद्यालय, आजमनगर | श्री मनोज कुमार झा, आपूर्ति निरीक्षक, आजमनगर–8544425691 | मुकुरिया, केलाबाड़ी, महेशपुर,मर्वतपुर, अमरसिहपुर। | स0अ0नि0 दिनेश चौधरी, आजमनगर थाना–9471605505 | थाना से। | श्री संजय कुमार, अंचलाधिकारी, आजमनगर–8544412591 |
| | मुख्य प्रवेश द्वार विद्यालय परिसर सहित। | श्री शंभू भारद्वाज, प्र0 कल्याण पदा0, आजमनगर–6200789647 | – | | थाना से। | |
| 5 | आदर्श मध्य विद्यालय, गुरूबाजार | श्री कन्हैया चौधरी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी,बरारी–9939317313 | शिशिया। | पु0अ0नि0 अंगद सिंह,बरारी थाना–8935920722 | थाना से। | श्री ललन कुमार मण्डल, अंचलाधिकारी, बरारी–8544412595 |
| | मुख्य प्रवेश द्वार विद्यालय परिसर सहित। | श्री अवधेश मिश्र, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बरारी–7295041061 | – | | थाना से। | |
| 6 | आदर्श म0वि0, अमदावाद | श्री सरोज कुमार मेहता, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, अमदावाद–8228913772 | भवानीपुर खटटी,बैदा,पारदियारा दुर्गापुर, चौकिया पहाड़पुर, जंगलाटाल, लखनपुर। | पु0अ0नि0 अजीत कुमार राय, अमदावाद थाना–9570840911 | थाना से। | श्री अनिल कुमार संतोषी, अंचलाधिकारी, अमदावाद–8544412605 |
| | मुख्य प्रवेश द्वार विद्यालय परिसर सहित। | श्री दिनेश कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अमदावाद–8083521246 | – | | | |
| 7 | म0वि0 जनता गोपालपुर | श्रीमति सुषमा भेलेरिया टोप्पो,सी0डी0पी0ओ0, अमदावाद–9934297909 | बैरिया, किशनपुर,पूर्वी करीमुल्लापुर, उत्तरी करिमुल्लापुर एवं दक्षिणी करिमुल्लापुर। | पु0अ0नि0 फैयाज खां,अमदावाद थाना–9386810399 | थाना से। | श्री प्रियदर्शी राजेश पायरट,प्र0वि0पदा0, अमदावाद–9431818328 |
| | मुख्य प्रवेश द्वार विद्यालय परिसर सहित। | श्री मनोज कुमार ठाकुर, प्रभारी अंचल निरीक्षक, अमदावाद–7070038414 | – | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | प्रोजेक्ट कन्या उ0वि0, कोढ़ा | श्री रवीन्द्र साह,प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी, कोढा–7870831079 | बहरखाल, बसगढ़ा, मकदमपुर, बावनगंज,विशनपुर एवं चन्दवा। | पु0अ0नि0 राम रतन कुमार, कोढ़ा थाना–7004060756 | थाना से। | श्री विक्रम भाष्कर झा, अंचलाधिकारी, कोढ़ा–8544412600 |
| | मुख्य प्रवेश द्वार विद्यालय परिसर सहित। | श्री सचिन कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कोढ़ा–8409438232 | – | | | |
| 9 | राजकीय बुनियादी विद्यालय, फलका हाट | श्री सोयम चक्रपाणी कनिष्क, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, फलका–7004845567 | हथवारा,शब्दा एवं सोहथा उत्तरी। | पु0अ0नि0 मुबारक अली, फलका थाना–9570986536 | थाना से। | श्री दिवाकर कुमार, अंचलाधिकारी, फलका– 8544412597 |
| | मुख्य प्रवेश द्वार विद्यालय परिसर सहित। | श्री पंकज कुमार मिश्रा, प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी,फलका–9102756096 | – | | | |
| 10 | राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय, तेलता | श्री राम बाबू साह, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बलरामपुर–7992365582 | महिशाल एवं लोहागाढ़ा | पु0अ0नि0 हरि नन्दन साह, तेलता ओ0पी0–7870679133 | थाना से। | श्री उदय कान्त मिश्र, अंचलाधिकारी, बलरामपुर–8544412592 |
| | मुख्य प्रवेश द्वार विद्यालय परिसर सहित। | श्री दीपक कुमार शर्मा, कार्यक्रम पदाधिकारी, बलरामपुर–9572906909 | – | | | |

1. प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी विधि–व्यवस्था संधारण के साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्य द्वार से अभ्यर्थियों को उनके फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार/पैन/ड्राईविंग लाईसेन्स आदि) को देखकर ही प्रवेश करने की अनुमति देंगे। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के अन्तर्गत सभी अभ्यर्थियों को मास्क पहनकर प्रवेश करना अनिवार्य होगा। प्रवेश एवं निकास के समय अभ्यर्थियों के द्वारा सामाजिक दूरी का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि भीड़ नहीं लगने पाये। उन्हें यह भी निदेश दिया जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी वाहन के साथ मुख्य प्रवेश द्वार से अन्दर प्रवेश नहीं करने पाये, इसे सुनिश्चित करेंगे।
2. विद्यालय परिसर एवं पंडाल में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी विधि–व्यवस्था संधारण के साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पहुँचने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाय। यदि विधि–व्यवस्था संधारण में किसी के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे एवं तत्काल वरीय प्रभारी पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे। साथ ही यह भी निदेश है कि पंडाल में अभ्यर्थियों से सामाजिक दूरी का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. नियोजन इकाई काउन्टर पर विधि–व्यवस्था संधारण के लिए प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी के साथ पंचायत सम्बद्ध किया गया है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके साथ सम्बद्ध पंचायतों के जिन अभ्यर्थियों का नाम ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से पुकारा जायेगा,उन्हीं अभ्यर्थियों को क्रमानुसार सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए काउन्सिलिंग के लिए प्रवेश करने देंगे। वैसे अभ्यर्थी जो बिना नाम पुकारे हुए काउन्टर पर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे,उन्हें वे रोकेंगे तथा उन्हें निदेशित करेंगे कि नाम पुकार होने के उपरान्त ही काउन्सिलिंग हेतु प्रवेश करने दिया जायेगा। काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित प्रक्रिया में व्यवधान करनेवाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे और इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देंगे।
4. प्रतिनियुक्त वरीय दण्डाधिकारी–सह–केन्द्र प्रभारी स्थल पर उपस्थित रहकर यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/ कर्मियों द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता का नियमों के साथ दायित्व निर्वहन किया जा रहा है अथवा नहीं। जिन पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा नियोजन प्रक्रिया को काउन्सिलिंग के माध्यम से पूर्ण कराने में किसी भी स्तर पर शिथिलता यदि दृष्टिगत होती है तो **शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की अनुशंसा पर** संबंधित

के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना वरीय प्रभारी पदाधिकारी को देंगे।

प्रत्येक काउन्टर के लिए प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र से लगातार इस आशय की सूचना प्रसारित की जाय कि ***काउन्सिलिंग के दौरान फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर नियोजन का प्रयास करनेवाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व किसी भी नियोजन इकाई अन्तर्गत नियुक्ति हेतु निरस्त करते हुए उनपर*** **शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित के विरूद्ध** ***विधि–सम्मत कार्रवाई की जायेगी।***

5. **सभी संबंधित थानाध्यक्ष/ओ0पी0अध्यक्ष यह निदेश दिया जाता है कि उक्त सभी संबंधित काउन्सिलिंग केन्द्रों पर अपने थाना/ओ0पी0 से पुलिस पदाधिकारी/बल की प्रतिनियुक्ति स्वंय अपने देख–रेख में कराना सुनिश्चित करेंगें तथा यह भी निदेशित किया जाताहै कि वैसे अभ्यर्थी जो नियोजन हेतु चयनित नहीं हुए हैं, लौटते समय किसी भी प्रकार से विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं करे। इस हेतु अपने क्षेत्र में सम्पूर्ण अवधि अर्थात संध्या 06.00 बजे तक सघन रूप से गश्ती कराना सुनिश्चित करेंगे।**
6. ***कैम्प स्थल पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ वरीय दण्डाधिकारी–सह–केन्द्र प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी अभ्यर्थी के नाम पुकारे जाने पर अन्य अभ्यर्थियों द्वारा काउन्सिलिंग हेतु आने से उन्हें नहीं रोके तथा ऐसा करते हुए पाये जाने पर संबंधित को चिन्हित कर उनके विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।***
7. **सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि कैम्प स्थल पर संबंधित नियोजन इकाई की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे ताकि नियोजन के दौरान उनकी अनुपस्थिति के कारण किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होने पाये। उन्हें यह भी निदेश दिया जाता है कि कैम्प स्थल पर उपस्थित रहकर इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ अन्य व्यवस्था की भी देख–रेख करना सुनिशिचित करेंगे।**

<u>स्वास्थ्य विभागीय व्यवस्था :–</u>

**सिविल सर्जन, कटिहार/जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, कटिहार/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, कटिहार** को निदेश है कि निर्धारित तिथि को सभी कैम्प स्थलों पर मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। मेडिकल टीम का दायित्व होगा कि काउन्सिलिंग हेतु प्रवेश करनेवाले अभ्यर्थियों का मुख्य द्वार पर ही थर्मल स्कैनर से जाँच करना सुनिश्चित करेंगे और कोविड–19 का लक्षण पाये जाने पर तत्काल मेडिकल टीम द्वारा कोविड टेस्ट कराना सुनिश्चित करेंगे।

सिविल सर्जन,कटिहार को निदेश है कि कैम्प स्थल पर टीकाकरण हेतु एक चलन्त टीकाकरण वाहन की भी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि जो अभ्यर्थी टीका नहीं लिये हैं,वे टीका लगवा सकें।

<u>शिक्षा विभागीय व्यवस्था :–</u>

**जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार** को निदेश है कि काउन्सिलिंग प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–7/विविध–25/2019–621 पटना दिनांक–03.07. 2021 दिये गये सभी निदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया जाता है कि मुख्य प्रवेश द्वार पर पर्याप्त मात्रा में सेनिटाईजर की व्यवस्था के साथ परिसर में अभ्यर्थियों के बैठने के लिए वाटर प्रुफ पंडाल की व्यवस्थां, क्यू0आर0कोड स्कैनर, टेबुल, कुर्सी की व्यवस्था, प्रत्येक काउन्सिलिंग हॉल एवं पंडाल के समीप दो–दो पानी का जार ग्लास सहित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रत्येक काउन्सिलिंग हॉल के लिए तथा पंडाल के लिए अलग–अलग ध्वनि विस्तारक यंत्र (कुल 04–04 सेट हैण्ड माईक सहित) की व्यवस्था करेंगे और लगातार ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रचार कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी निदेश है कि विधि–व्यवस्था संधारण सहित काउन्सिलिंग स्थल पर किये जानेवाले सभी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हेतु वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति के साथ–साथ सी0सी0टी0वी0 कैमरा का भी अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करेंगे।

<u>अग्निशमन विभागीय व्यवस्था :–</u>

**जिला अग्निशामालय पदाधिकारी, कटिहार** को निदेश है कि उपर वर्णित अवधि के लिए कार्यक्रम स्थल पर सभी कैम्प स्थलों पर अग्निशमन दस्ता सभी आवश्यक उपकरणों के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखना सुनिश्चित करेंगे।

**<u>प्रतिनियुक्ति अवधि :–</u>**

सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/ बल **दिनांक–13.08.2021 को पूर्वाहन 07.00 बजे से** अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्यक्रम समाप्ति के उपरान्त अर्थात 06. 00 बजे संध्या तक दायित्व निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे।

**<u>वरीय प्रभार :–</u>**

**श्री शंकर शरण ओमी, अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार (9473191377) /श्री अमर कान्त झा, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार (9431800042)/ श्री पवन कुमार मण्डल, अनुमण्डल पदाधिकारी,बारसोई (9473191379)/ श्री प्रेम नाथ राम, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बारसोई (9431800040)/ श्री आशुतोष द्विवेदी,भा०प्र०से०, अनुमण्डल पदाधिकारी, मनिहारी (9473191378)/ मो० शहवान हबीब फाकरी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मनिहारी (9431800041)** उक्त अवसर पर अपने अनुमण्डलान्तर्गत सम्पूर्ण विधि–व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे एवं भ्रमणशील रहकर विधि–व्यवस्था/सुरक्षा व्यवस्था का पर्यवेक्षण/संधारण सुनिश्चित करने के साथ–साथ प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक मार्ग–दर्शन प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार/ बारसोई/ मनिहारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों में से किसी के अवकाश में रहने/ स्थानान्तरण की स्थिति की स्थिति में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ वरीय दण्डाधिकारी–सह–केन्द्र प्रभारी के स्थान पर विधि–व्यवस्था/ सुरक्षा व्यवस्था संधारण के लिए अपने स्तर से परिवर्तन करते हुए तत्काल इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे।

12.8.21

**पुलिस अधीक्षक,**
**कटिहार।**

12/8/2021

**जिला पदाधिकारी,**
**कटिहार।**

**ज्ञापांक 1760 /सी0, कटिहार, दिनांक– 12 .08. 2021**

प्रतिलिपि– आयुक्त, पूर्णियां प्रमण्डल, पूर्णियां/पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णियां क्षेत्र, पूर्णियां को सूचनार्थ अग्रसारित।

प्रतिलिपि– अपर समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार/ बारसोई/ मनिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सिविल सर्जन,कटिहार/जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी,कटिहार/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ सभी अंचलाधिकारी, जिला–कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश है कि उनके प्रखण्ड के प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को अपने स्तर से संयुक्त आदेश की प्रति तामिल करवाना सुनिश्चित करें एवं तामिला प्रतिवेदन अवलोकनार्थ भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि– प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा स्थापना, कटिहार को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला अग्निशामालय पदाधिकारी, कटिहार को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, कटिहार को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी संबंधित थानाध्यक्ष/ओ0पी0अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.8.21

**पुलिस अधीक्षक,**
**कटिहार।**

12/8/2021

**जिला पदाधिकारी,**
**कटिहार।**